निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 874) पटना, वृहस्पतिवार, 21 सितम्बर 2017

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
21 सितम्बर 2017

एस०ओ० 167, दिनांक 21 सितमबर 2017––बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 96क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, एतद् द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए जिसका एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं का प्रदाय करने का आशय है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने हेतु शर्त्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करते हैं–

(i) निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र प्रस्तुत करने के पात्र होंगे :––

(क) विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 5 में यथाविनिर्दिष्ट कोई प्रास्थिति धारक ; या

(ख) जिसने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निर्यात आवर्त्त का न्यूनतम 10 प्रतिशत के बराबर देय ऐसा विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्त किया है, जो एक करोड़ रुपये से कम का नहीं होना चाहिए;

और उसे बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अधीन या विद्यमान विधि में से किसी विधि के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया गया है, जहाँ अपवंचन किए गए कर की रकम दो करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक है।

(ii) किसी वित्तीय वर्ष में, बिहार माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिवचन पत्र, दो प्रतियों में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी–11 के उपाबंध में दिया जाएगा और इसे सक्रिय भागीदार, प्रबंध निदेशक या कंपनी सचिव या स्वत्वधारी द्वारा या ऐसे सक्रिय भागीदार, ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के शीर्षनामे पर के स्वत्वधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–20/2017–3529)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

21 सितम्बर 2017

एस०ओ० 168, एस०ओ० 167 दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–20 / 2017–3529)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 21st September 2017

S.O. 167, dated 21st September 2017— In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 96A of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Bihar hereby specifies the conditions and safeguards for the registered person who intends to supply goods or services for export without payment of integrated tax, for furnishing a Letter of Undertaking in place of a Bond.

(i). The following registered person shall be eligible for submission of letter of Undertaking in place of a bond:-

(a) a status holder as specified in paragraph 5 of the Foreign Trade policy 2015-2020 ; or

(b) who has received the due foreign inward remittances amounting to a minimum of 10% of the export turnover, which should not be less than one crore rupees, in the preceding financial year,

and he has not been prosecuted for any offence under the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) or under any of the existing laws in case where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees.

(ii). The Letter of Undertaking shall be furnished in duplicate for a financial year in the annexure to FORM GST RFD-11 referred to in sub-rule (1) of rule 96A of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 and it shall be executed by the working partner, the Managing Director or the Company Secretary or the proprietor or by a person duly authorised by such working partner or Board of Director of such company or proprietor on the letter head of the registered person.

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of July, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20 /2017-3529)]
By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)874-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in